न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 120/23 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/142)

1. टीकाराम पुत्र फैलूराम जाति मीना
2. देवपाल पुत्र फैलूराम जाति मीना

निवासी श्यामोता तहसीसल व जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. पीरू पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी श्यामोता
2. रूपचन्द पुत्र लक्ष्मण जाति मीना निवासी श्यामोता
3. हरकेश पुत्र लक्ष्मण जाति मीना निवासी श्यामोता
4. रामा बेबा लक्ष्मण जाति मीना निवासी श्यामोता
5. श्योजीराम पुत्र छीतर जाति मीना निवासी श्यामोता
6. मोज्या पुत्र फूलचंद जाति मीना निवासी श्यामोता
7. मीठया पुत्र फलचंद जाति मीना निवासी श्यामोता
8. सीता बेबा सुआलाल जाति मीना निवासी श्यामोता
9. रवि पुत्र सुआलाल जाति मीना निवासी श्यामोता
10. बदरी पुत्र सुआलाल जाति मीना निवासी श्यामोता
11. मदनलाल पुत्र मोजीराम जाति मीना निवासी श्यामोता
12. रामसहाय पुत्र मदनलाल जाति मीना निवासी श्यामोता
13. हरसहाय पुत्र मदनलाल जाति मीना निवासी श्यामोता
14. श्रीराम पुत्र मदनलाल जाति मीना निवासी श्यामोता
15. विशनलाल पुत्र हेमराज जाति मीना निवासी श्यामोता
16. धापू पत्नी हेमराज जाति मीना निवासी श्यामोता
17. पूनीदेवी पत्नी पांचीलाल जाति मीना निवासी श्यामोता तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
18. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर दिनांक 20.11.2015 प्रकरण अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट।

उपस्थितिः–

1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल वकील अपीलान्ट।
2. श्री जगन्नाथ चौधरी वकील अपीलान्ट।
3. श्री पारसमल जैन वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः–31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया था कि जमाबन्दी सम्वत 2043–2046 वाकै ग्राम श्यामोता के खाता संख्या 96 में अंकित आराजीयात कुल किता 18 कुल रकबा 25 बीघा 14 विस्बा रामचन्द, मोजीराम, फैलू पिता नेनू जाति मीना निवासी श्यामोता की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात थी। रामचन्द, मोजीराम व फैलू ने अपने जीवनकाल में ही तकासमा कर लिया था। जिसका नामान्तरकरण संख्या 310 खोला गया। इसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2046 में पटवारी हल्का द्वारा कर दिया गया। उक्त नामान्तरकण संख्या 310 के अनुसार अपीलान्ट व रैस्पोडेन्टस के नाम विवादित भूमि आनी चाहिऐ थी, लेकिन सेटलमेन्ट विभाग ने मनमाने तरीके से जमाबन्दी सम्वत 2043–2046 के इन्द्राजों को ध्यान में रखे बिना इन्द्राज कर दिया। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 310 वर्ष 1989 के बंटवारे के मुताबिक अर्थात प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 4 के अनुसार.....'' **रामचन्द्र** खसरा नम्बर 109/0.07, 110/0.07, 752/0.16, 753/0.23, 345/0.13, 346/0.31, 846/0.06, 743/0.04, 1195/0.44, 1196/0.02, 809/0.08 एवं **मौजीराम** खसरा नम्बर 689/0.29, 111/0.12, 111/1399/0.12, 765/0.07, 762/0.48, 521/0.16, 522/0.40, 208/0.07 का 1/2, 211/0.13 का 1/2, 255/0.08, 682/0.12, 1173/0.19, 1174/0.19, 701/0.09, 1235/1403/0.09, एवं **फैलू** खसरा नम्बर 697/0.29, 112/0.23, 769/0.08, 763/0.23, 763/1400/0.24, 523/0.28, 523/1401/0.28, 208/0.07 का 1/2, 211/0.03, 249/0.07, 681/0.14, 1175/0.19, 1175/1402/0.19, 736/0.02, 1235/0.10 सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये वर्तमान इन्द्राजों को समाप्त कर उपरोक्तानुसार रेवेन्यु रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। तहत अदालत उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र के तथ्य पूर्णतया सिद्ध नहीं होने एवं प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत चाही गई दादरसी 136 एल आर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2015 से खारिज कर दिया गया। उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर के इस आदेश दिनांक 30.11.2015 के खिलाफ अपीलान्ट के द्वारा अदालत हाजा के समक्ष यह अपील पेश की गई है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि भू प्रबंध विभाग को सेटलमेन्ट से पूर्व के इन्द्राजों को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में बिना किसी अधिकार के सैटलमेन्ट के पूर्व के जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राजों में बदलाव किया गया है। भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दुरूस्त करवाया जा सकता है। इस तरह के इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को धारा 136 एल आर एक्ट के तहत है, लेकिन योग्य तहत अदालत ने तलबी व जबाब में चल रहे प्रकरण में बहस सुने बिना ही मनमाने तरीके से आदेश देकर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाई। तहसीलदार की ओर से अधीनस्थ

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह माना है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी व नामान्तरकरण के रेवेन्यु इन्द्राजों की अवहेलना कर मनमाने तरीके से रेवेन्यु रिकार्ड बनाया है। उसे दुरूस्त किया जाना चाहिऐ लेकिन योग्य तहत अदालत ने इस पर ध्यान दिये बिना अपीलान्ट को बिना सुनें अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के मध्य कभी बहस नहीं हुई है। रैस्पोडेन्ट के जबाब व तलबी में प्रकरण चल रहा था। इसके बाबजूद अदालत मातहत ने पक्षकारान को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2015 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 07.12.2015 को हुई। इस पर दिनांक 07.12.2015 को नकल की दरख्वास्त पेश की गई, जो दिनांक 28.12.2015 को तैयार होना बताकर दिनांक 28.12.2015 को ही नकल मिलने व जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को रिमाण्ड किया जाकर रिकार्ड में वांछित दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न तो अदालत मातहत में चलने योग्य था और न ही सुनवाई योग्य था। इसी आधार पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में मियाद बाहर प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल नहीं था। भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेंट के दौरान किसी प्रकार की कोई त्रुटि रिकार्ड में नहीं की गई। इसलिए उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को नियमानुसार खारिज किया गया है। प्रथम तो अपीलान्ट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है, जिसका समुचित व ठोस कारण स्पष्ट नहीं किया है। इसके अलावा अपीलान्ट का यह कहना कि उसे सुना नहीं गया गलत है। वे स्वयं जरिये वकील तहत अदालत में उक्त प्रकरण को लेकर पेश हुऐ है ऐसी स्थिति में यह कहा जाना कि सुना नहीं गया बेबुनियाद है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई है प्रकारान्तर तहसीलदार सवाईमाधोपुर से रिपोर्ट तलब की गई है एवं प्रकरण में वकील उभयपक्ष की जरिये वकील उपस्थिति स्पष्ट है इस प्रकार सुनवाई पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाने का कोई आधार नहीं है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा प्रकरण में जबाब भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थीगण के बंटवारे के अनुसार नवीन

रिकार्ड में अंकन नहीं हुआ है, बल्कि पूर्व खातों को कई खातों में विभाजन कर बिना किसी स्पष्ट प्रमाण के परिवर्तित किये गये है, जो पुरानी जमाबन्दी में लगे नोट के अनुसार मिलान नहीं खाता है। अतः पूर्व जमाबन्दी के नोट व नामान्तरकरण संख्या 310 के अनुसार नवीन जमाबन्दी में शुद्ध किया जाना उचित है। इसके अलावा अपीलान्ट के द्वारा तहत अदालत में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दादरसी चाही गई थी वह धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के अतंर्गत नहीं आती है। अपीलान्ट ने जो तहत अदालत के समक्ष मांग की गई है वह संभव नहीं है। चूंकि 136 एल आर एक्ट में केवल और केवल लिपिकीय त्रुटियों को दुरूस्त किये जाने मात्र का प्रावधान है वह भी तब जबकि दौराने निर्णय हितवद्व पक्षकारान की समुचित सुनवाई उपरान्त सहमति बनती हो अन्यथा किसी भी सूरत में 136 एल आर एक्ट का सहारा लेकर किसी के खातेदारी अधिकारों से छेडछाड किया जाना मुनासिब नहीं रहता है। वास्तव में अपीलान्टस को चाहिऐ कि वह खातेदारी की उदघोषणा कराने हेतु पृथक से वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश करें। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट ने यह अपील केवल बुनियाद तथ्यों के आधार पर एवं रैस्पोडेन्टस को परेशान करने एवं अदालतों के समय को जाया करने के लिये पेश की गई है। जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 07.01.2016 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील के मद संख्या 5 में तथा दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.12.2015 को होने, जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन करने व नकल दिनांक 28.12.2015 को प्राप्त होने पर अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया है। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित जानकारी की तिथि पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अदालत मातहत की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में रैस्पोडेन्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिस पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ओर से श्री हरिकेश मीना, रैस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 व 10 की ओर से श्री पारस जैन एडवोकेट उपस्थित हुए। रैस्पोडेन्ट संख्या 3, 8 व 9 की विधिवत तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 07.05.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई व शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलवाना नोटिस पेश करने के निर्देश अपीलान्टस को दिए गए। इसके बाद पत्रावली में लगातार पीठासीन अधिकारी की ओर से मोहरें लगाई जाती रही। दिनांक 17.07.2015 को पत्रावली के लोक अदालत में पेश होने तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए पत्रावली दिनांक 30.07.2015 को पेश करने के निर्देश दिए गए। उसके बाद दिनांक 30.11.2015 को अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित किया गया। उक्त आदेश में विद्वान उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने यह मानते हुए कि प्रार्थी की ओर से चाही गई दादरसी एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती। इसके लिए अलग से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत अलग से वाद पत्र पेश करने के निर्देश देते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश दिया। उक्त आदेश उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बनाए गए सभी अप्रार्थीगण को न तो नोटिस जारी किया गया और न ही विधिवत तामील ही करवाई गई। उक्त पत्रावली पक्षकारान की तलबी में होने के बाबजूद पक्षकारान को तलब नहीं कर तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त हुई रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 16.07.2015 में भी जमाबन्दी के नोट व नामान्तकरण संख्या 310 के अनुसार नवीन जमाबन्दी में शुद्धि किया जाना उचित बताया है। इस रिपोर्ट के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का कोई अभिमत अपीलाधीन निर्णय में नहीं दिया और न हीं उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से की गई बहस का उल्लेख ही किया है। उक्त निर्णय न तो स्पष्ट है और न ही स्पीकिंग है। इसलिए इस निर्णय को उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय गुणावगुण पर नहीं कर बिना कोई स्पष्ट कारण निर्णय में अंकित किये खारिज किया है, जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से प्रकरण में प्राप्त हुई रिपोर्ट के संबंध में स्पष्ट अभिमत देते हुए पुनः नये सिरे से स्पीकिंग व स्पष्ट निर्णय सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर